(101)

राजस्थान सरकार

[redacted]क न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स, जयपुर

क्रमांक:एफ11( )/SC/ST/OBC/SBC/R&P/DDBC/SJED/2012/10232-65 जयपुर, दिनांक 03-3-17

समस्त जिला कलक्टर

....

विषयः– जाति प्रमाण पत्र दिशा निर्देश दिनांक 09.09.2015 की पालना सुनिश्चित करते हुए केवल ऑनलाईन सिस्टम से ही जाति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि राज्य के कुछ जिले में कुछ उपखण्ड अधिकारियों द्वारा वर्तमान में ऑफलाईन जाति प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं तथा धानका, नायक जाति नाम से अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं, जो कि भारत सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन दिनांक 20.09.1976 के प्रतिकूल है। इसके अलावा यह भी अवगत कराया गया है कि जारी किए गए जाति प्रमाण पत्रों का रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है जो कि अनुचित है।

जैसा कि विदित है कि राज्य सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र दिशानिर्देश क्रमांक 54159 दिनांक 09.09.2015 एवं 63706–726 दिनांक 20.10.2015 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जो पूर्व में ही भिजवाये जा चुके हैं तथा विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

अतः पुनः जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले समस्त सक्षम प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि जाति प्रमाण पत्र दिशानिर्देश दिनांक 09.09.2015 एवं 20.10.2015 की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए ऑनलाईन जारी किये जावें ताकि भारत सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन में अंकित जाति नाम से ही पात्र व्यक्तियों को प्रमाण पत्र प्राप्त हो तथा जारी किए गए उक्त प्रमाण पत्रों की एक प्रति कार्यालय रिकार्ड में रखना सुनिश्चित करें।

(अशोक जैन)
अति. मुख्य सचिव